उप-जाति आरक्षण से जुड़ी समस्याएं

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के लिए उप-जाति आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उप-जाति आरक्षण पर किसी भी निर्णय को न केवल कानूनी आधार पर बल्कि शैक्षणिक आधार पर भी उचित ठहराया जाना चाहिए। उप-जाति आरक्षण के लिए शैक्षणिक आधार कमजोर प्रतीत होता है। अब तक, सरकार ने तीन नीतिगत साधनों का उपयोग किया है, अर्थात् जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, विधायिका, सार्वजनिक नौकरियों, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, और भूमि, व्यवसाय और शिक्षा के स्तर जैसी पूंजीगत संपत्तियों के स्वामित्व में सुधार के उपाय।

डॉ. बीआर अंबेडकर, जिन्होंने 30 वर्षों तक संघर्ष किया, ने समान नागरिक और संपत्ति के अधिकार, रोजगार और शिक्षा से वंचित करने के साथ-साथ अछूतों के समग्र रूप से शारीरिक और सामाजिक अलगाव के कारण नीतिगत उपायों के इन तीन सेटों को उचित ठहराया, न कि अछूत समुदाय के भीतर विशिष्ट उप-जातियों को, क्योंकि सभी अछूतपन से समान रूप से पीड़ित थे। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि तीन उपाय, अर्थात् कानूनी सुरक्षा, आरक्षण और आर्थिक/शिक्षा सशक्तिकरण उपाय एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तावित किए गए थे, न कि विकल्प या स्वतंत्र समाधान के रूप में। उप-जाति आरक्षण के मुद्दे पर कुछ अंतर्दृष्टि लाने के लिए इन तीन उपायों के बीच अंतर्संबंध पर स्पष्टीकरण आवश्यक है।

पहले कदम के रूप में, अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा। उनका यह भी मानना था कि कानून अपने आप में अछूतों के लिए विधायिका, नौकरियों और शिक्षा में उचित हिस्सा सुनिश्चित नहीं करेगा। इसलिए, कानूनी उपायों के पूरक के रूप में आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया। कानूनी सुरक्षा उपाय और आरक्षण मिलकर 'वर्तमान' में उचित हिस्सा सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ये उपाय 'वर्तमान' में भेदभाव को संबोधित करते हैं, लेकिन संपत्ति, रोजगार और शिक्षा के अधिकार के अतीत के इनकार के परिणामों से निपटने में उनकी सीमाएँ हैं। इसलिए, भूमि, व्यवसाय और शिक्षा जैसी पूंजीगत संपत्तियों के स्वामित्व में सुधार के लिए एक तीसरी नीति को आरक्षण नीति के पूरक उपाय के रूप में आवश्यक माना गया। इसका उद्देश्य अछूत युवाओं की शिक्षा प्राप्त करने और आरक्षण के तहत नौकरी हासिल करने में सक्षम बनने की क्षमताओं को बढ़ाना था।

अछूतों के लिए विधायिका, सार्वजनिक नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की आवश्यकता थी, जिसमें 'सामाजिक समूह फोकस' शामिल था। आर्थिक सशक्तीकरण की नीति उन अछूत 'व्यक्तियों' पर केंद्रित थी, जिनके पास आय अर्जित करने वाली पूंजीगत संपत्ति और शिक्षा की कमी थी। इसलिए, उप-जाति आरक्षण पर कोई भी निर्णय इन प्रस्तावों को ध्यान में रखना चाहिए। उप-जाति आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि कुछ उप-जातियों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हुआ है, इसलिए, जो उप-जातियाँ पीछे रह जाती हैं, उनके लिए अलग कोटा होना चाहिए। यह मानते हुए कि कुछ उप-जातियाँ नौकरी आरक्षण में दूसरों से पीछे हैं, कम हिस्सेदारी जरूरी नहीं कि अन्य उप-जातियों द्वारा भेदभाव के कारण हो। कुछ लोग सार्वजनिक नौकरियों में पीछे रह सकते हैं क्योंकि वे कम शिक्षा से पीड़ित हैं, जो बदले में आय अर्जित करने वाली पूंजीगत संपत्ति की कमी के कारण है। इससे सार्वजनिक नौकरियों की तलाश करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।

अगर ऐसा है, तो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में इन उपजातियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति को पूंजीगत परिसंपत्तियों और शिक्षा पर उनके स्वामित्व को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे उन एससी 'व्यक्तियों' पर केंद्रित किया जाना चाहिए जिनके पास पूंजीगत परिसंपत्तियों और शिक्षा पर स्वामित्व नहीं है। अगर पूंजीगत स्वामित्व और शैक्षणिक भागीदारी में सुधार किए बिना उपजाति आरक्षण दिया जाता है, तो नौकरियों और शिक्षा में उनकी हिस्सेदारी कम रह सकती है, क्योंकि अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोगों को नौकरियों और शिक्षा तक पहुँचने में बढ़त मिलेगी, जो कि आज भी पूरी संभावना है। इसलिए, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की नीति, जिसे अंबेडकर ने आरक्षण नीति के पर्याप्त उपयोग के लिए सुझाया था, कम पूंजीगत स्वामित्व और कम शिक्षा वाले उपजाति आरक्षण से बेहतर विकल्प है।

कानूनी प्राधिकरण को यह स्वीकार करना होगा कि भेदभाव वाले समूहों के लिए कानूनी समाधान आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस संदर्भ में, निर्णय लेने वाले कानूनी प्राधिकरण को यह जानना होगा कि कुछ एससी उप-जातियों का नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व किस हद तक जातिगत भेदभाव के कारण है, और यह किस हद तक आय के स्रोतों की कमी और कम शिक्षा के कारण है। यदि अन्य उप-जातियों द्वारा भेदभाव कम प्रतिनिधित्व का कारण है, जो कि असंभव है, तो उप-जाति आरक्षण का मामला हो सकता है। लेकिन अगर यह कम आय और शिक्षा के कारण क्षमताओं की कमी के कारण है, तो एक 'व्यक्तिगत फोकस' नीति एक बेहतर विकल्प है, जो उन्हें नौकरी आरक्षण का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।

कुछ उप-जातियों का कम प्रतिनिधित्व, जो उप-जाति आरक्षण चाहते हैं, मुख्य रूप से आय अर्जित करने वाली संपत्तियों और शिक्षा की कमी के कारण है, और अन्य एससी उप-जातियों द्वारा भेदभाव के कारण नहीं है। नौकरी आरक्षण में कुछ उप-जातियों की कम भागीदारी की समस्या को पूंजीगत संपत्तियों और शिक्षा के स्तर पर उनके स्वामित्व में सुधार करके निपटना होगा, जो बदले में आरक्षण और शिक्षा के तहत नौकरियों तक पहुँचने की उनकी क्षमताओं में सुधार करेगा। लेकिन अगर कानूनी अधिकारी अकादमिक औचित्य और उप-जातियों के आंकड़ों के आधार पर तथ्यात्मक वास्तविकता के बिना उप-जाति आरक्षण को प्राथमिकता देते हैं, तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह एससी/एसटी/ओबीसी से हजारों उप-जातियों/जनजातियों द्वारा उप-जाति आरक्षण की मांग के लिए बाढ़ के द्वार खोल देगा। उस स्थिति में, आरक्षण नीति जाति समाज की असंख्य उप-जातियों के साथ दर्पण छवि होगी।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : एससी/एसटी के लिए उप-जाति आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. दो दशकों में, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के लिए राज्य स्तर पर आरक्षण कानून लाने की कोशिश की है।
2. यह मुद्दा पहली बार तब अदालतों में पहुंचा जब आंध्र प्रदेश सरकार ने 1996 में न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to sub-caste reservation for SC/ST:

1. Over the past two decades, many states like Punjab, Bihar and Tamil Nadu have tried to bring reservation laws at the state level to sub-categorize the Scheduled Castes.
2. The issue first reached the courts when the Andhra Pradesh government constituted a one-man commission headed by Justice Ramachandra Raju in 1996.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 & 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Mains Expected Question & Format)

प्रश्न: एससी/एसटी के लिए उप-जाति आरक्षण का मुद्दा क्या है? इसको लेकर ऐतिहासिक परिचर्चा का भी विश्लेषण करें।

उत्तर का एप्रोच :

- उत्तर के पहले भाग में एससी/एसटी के लिए उप-जाति आरक्षण का मुद्दे का वर्णन कीजिए।
- दूसरे भाग में उप-जाति आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक परिचर्चा का भी विश्लेषण करें।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।